संख्या-14/280रिट/का-1-2013

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
कार्मिक विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी,2014

विषय :-रिट पिटीशन संख्या-1559(एस0बी0)/2013 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम सुरेश चन्द्र शर्मा के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-344डब्लू/13-27-सिं-5-19नि0या0/2004, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. विषयगत रिट याचिका में प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संदर्भ में मूल नियम-56 के अन्तर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों को स्क्रीनिंग किये जाने हेतु क्या मानक अपनाये जा रहे हैं, विशेषकर विगत वर्षों में कर्मचारियों/अधिकारियों की लोक सेवाओं में उपयोगिता के सम्बंध में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया हो, के सम्बंध में शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के निर्देश हैं। इस सम्बंध में, कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या-247रिट/का-1-2013, दिनांक 03.12.2013 द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता को कार्मिक विभाग के दृष्टिकोण से अवगत कराया जा चुका है, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गयी थी।

3. इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों/अधिकारियों के स्क्रीनिंग का विषय कार्मिक विभाग से सम्बन्धित है तथा प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग ही प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग भी हैं। स्क्रीनिंग के सम्बंध में, कार्मिक अनुभाग-1 द्वारा सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग विषयक शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर, 1985, दिनांक 06 फरवरी, 1989, दिनांक 21 मई, 1998 एवं शासनादेश दिनांक 23.09.2000 निर्गत किये गये हैं, जिनकी व्यवस्था स्वत: स्पष्ट है (छाया प्रतियां संलग्न), जिसमें मुख्यत: मूल नियम-56 (छाया प्रति संलग्न) की व्यवस्था के आधार पर ही यह व्यवस्था है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताये 3 माह की नोटिस अथवा 3 माह का वेतन देकर

http://sinsanadesh.up.nic.in

जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। मूल नियम-56 का विषय वित्त विभाग से सम्बन्धित है, अत: इस सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। चूँकि कार्मिक विभाग एक परामर्शी विभाग है और प्रश्नगत रिट याचिका आपके विभाग से सम्बन्धित है, अत: प्रश्नगत रिट याचिका में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही आपके स्तर से ही की जा सकती है। कार्मिक विभाग के उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों में स्क्रीनिंग कमेटी के गठन, समीक्षा, विचारणीय अभिलेख, कार्यवाही की समय-सारणी एवं स्क्रीनिगं कमेटी की विधिक स्थिति के बारे में उल्लेख किया गया है। वस्तुत: स्क्रीनिंग के सम्बंध में नियुक्ति प्राधिकारी को निर्णय लिये जाने हेतु सशक्त एवं सक्षम बनाया गया है।

4. अत: आपके उक्त संदर्भित पत्र के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत रिट याचिका में उपरोक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित स्थिति के अनुसार कार्मिक विभाग के दृष्टिकोण को दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र में सम्मिलित करते हुए समेकित रूप से प्रतिपक्षी (कार्मिक विभाग) की ओर से भी प्रतिवाद/अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(एस0पी0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-14/280रिट(1)/का-1-2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0/-
(एस0पी0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in